सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

60वीं बोर्ड बैठक

विचाराधीन विषयों की सूची

दिनांक : 03.09.2020
समय : अपरान्ह् 5.30 बजे
स्थान : कैम्प कार्यालय
आयुक्त, सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर।

Scanned by CamScanner

विषय सूची

एजेन्डा आईटम सं0	विषय	पृष्ठ सं0
60/01	दिनांक 14.02.2020 को सम्पन्न हुई 58वीं बोर्ड बैठक एवं परिचालन के माध्यम सम्पन्न हुई 59वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	1
60/02	दिनांक 14.02.2020 को सम्पन्न हुई 58वीं बोर्ड बैठक एवं परिचालन के माध्यम सम्पन्न हुई 59वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	2 – 6
60/03	सहारनपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित बाई पास के दोनों ओर स्थित ग्रामों का भू–उपयोग सहारनपुर महायोजना–2031 में निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	7 – 9
60/04	सहारनपुर विकास क्षेत्र में मिश्रित आवासीय/आवासीय भू–उपयोग में अवैध रूप से विकसित 44 कालोनियों के विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	10 – 17
60/05	प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे कार्यो/परियोजनाओं में 10 प्रतिशत से अधिक के विचलन की स्थिति में विचलन का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से कराये जाने के सम्बन्ध में।	18 – 19
	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	

Scanned by CamScanner

दिनांक 03–09–2020 को आहूत सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक में उपस्थिति।

क्र0सं0	नाम/ पदनाम	पदेन	हस्ताक्षर
1–	श्री संजय कुमार आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	अध्यक्ष	
2–	श्री अखिलेश सिंह जिलाधिकारी, सहारनपुर।	सदस्य	
3–	सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	
4–	सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	
5–	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	उपाध्यक्ष	
6–	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य	
7–	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर।	सदस्य	
8–	अपर निदेशक (कोषागार) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर। प्रतिनिधि– सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	
9–	अधीक्षण अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम, निर्माण खण्ड, सहारनपुर।	सदस्य	
10–	अधीक्षण अभियन्ता सहारनपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।	सदस्य	

Scanned by CamScanner

क्र0सं0	नाम/ पदनाम	पदेन	हस्ताक्षर
11–	श्री काली विभूति शुक्ला सहयुक्त नियोजक, मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ।	सदस्य	
12–	श्री राकेश जैन	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	
13–	श्री सुरेन्द्र शर्मा	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	
14–	श्री अमित गगनेजा	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	
15–	अधीक्षण अभियन्ता नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री	
16–	श्री गोर्की सहायक नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	विशेष आमंत्री	
17–	परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश सेतु निगम, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री	

Scanned by CamScanner

दिनांक 03-09-2020 को सम्पन्न हुई सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :-

1-	श्री संजय कुमार आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	अध्यक्ष
2-	श्री अखिलेश सिंह जिलाधिकारी, सहारनपुर।	सदस्य
3-	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	उपाध्यक्ष
4-	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह नगर आयुक्त नगर निगम, सहारनपुर।	सदस्य
5-	श्री गोविन्दजी शुक्ला अपर निदेशक (कोषागार) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	सदस्य
6-	श्री के0वी0शुक्ला सहयुक्त नियोजक, मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ प्रतिनिधि-मुख्य नगर एव ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।	सदस्य
7-	श्री अतुल कुमार अधिशासी अभियन्ता प्रतिनिधि-अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।	सदस्य
8-	श्री सत्यवीर सिंह महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, सहारनपुर।	सदस्य
9-	श्री पंकज अधीक्षण अभियन्ता नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री
10-	श्री जे0एस0सयाना परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सेतु निगम,सहारनपुर।	विशेष आमंत्री

Scanned by CamScanner

11– श्री राकेश जैन — गैर सरकारी/ मनोनीत सदस्य

12– श्री सुरेन्द्र शर्मा — गैर सरकारी/ मनोनीत सदस्य

13– श्री अमित गगनेजा — गैर सरकारी/ मनोनीत सदस्य

एजेन्डा आईटम संख्या : 60/01

विषयः दिनांक 14.02.2020 को सम्पन्न हुई 58वीं बोर्ड बैठक एवं परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई 59वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 14.02.2020 को सम्पन्न हुई 58वीं बोर्ड बैठक एवं परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई 59वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी।

एजेन्डा आईटम संख्या : 60/02

विषयः दिनांक 14.02.2020 को सम्पन्न हुई 58वीं बोर्ड बैठक एवं परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई 59वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय।

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किंये जा रहे मानचित्रों में नियमानुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना सुनिश्चित कराने के संबंध में अवगत कराया गया कि जारी किये गये 151 नोटिसों के सापेक्ष 59 रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्थापित कराये जा चुके है तथा 04 कियान्वयन प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 44 भूखण्ड रिक्त/निर्माणाधीन, जिनमें रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्थापित कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए 300 वर्गमी0 या उससे ऊपर के स्वीकृत मानचित्रों से सम्बन्धित स्थलों पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्थापित कराने हेतु जन-सामान्य को प्रेरित किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या 58/02 पर हकीकत नगर स्थित सामुदायिक केन्द्र को 03 वर्ष हेतु किराये पर उठायें जाने के सम्बन्ध में दिनॉक 30.07.2020 एवं 19.08.2020 को ई-निविदा आमंत्रित की गई, परन्तु कोई भी निविदा प्राप्त नही हुई। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि ई-निविदा आमंत्रित किये जाने सम्बन्धी प्रकिया के माध्यम से शीध्र अति शीघ्र निर्णय लिया जायें।

उक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा पूर्व में विनियमित की गयी 44 कालोनियों के संबंध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन मा0 बोर्ड द्वारा किया गया। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में शासन द्वारा जारी नई शमन योजना-2020 के अन्तर्गत अपने भवन/निर्माण को नियमित कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए नोटिस के माध्यम से जनसामान्य को सूचित किया गया। शमन मानचित्र प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों के आवंटन के सत्यापन के पूर्व में गठित समिति

Scanned by CamScanner

197

द्वारा संयुक्त रूप से किये गये सर्वे/सत्यापन के सापेक्ष अन्तिम निस्तारण/कार्यवाही हेतु रिपोर्ट जिलाधिकारी, सहारनपुर को प्रेषित कर दी गयी।

एजेण्डा आईटम संख्या 58/07 पर उल्लिखित प्रकरण, जिसमें सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा ग्राम दराशिवपुरी स्वाद बैरून की अर्बन सीलिंग की खसरा संख्या 24मि0, 5मि0, 20मि0 व 21मि0 के कुल रकबा 4369.44वर्गमी0 पर रूद्राक्ष आवासीय योजना में 16 भूखण्डों के विक्रय हेतु डिमाण्ड सर्वे/विक्रय की कार्यवाही प्रचलित है, के सम्बन्ध में बैठक में यह बिन्दु दृष्टिगोचर हुआ कि अर्बन सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि पर नियमानुसार राजकीय योजना हेतु ही निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। उक्त तथ्य का संज्ञान लेते हुए मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अर्बन सीलिंग अधिनियम/संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थाओं के आलोक में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाये।

एजेण्डा आईटम संख्या 58/08 पर उल्लिखित प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मेरठ, बागपत-खेकडा विकास प्राधिकरण के अनुसार मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में तैयार की गई नियमावली को स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु शासन को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाये।

एजेण्डा आईटम संख्या 58/09 पर उल्लिखित प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद सहारनपुर में विश्वकर्मा चौक के निकट ढमोला नदी पर सेतु पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु परियोजना की कुल लागत रू0 694.92 लाख के आधार पर कार्य उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, सहारनपुर से कराये जाने एवं उक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु शासन को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाये।

अन्य विषय पर उल्लिखित प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अमलगेशन के सम्बन्ध में मेरठ विकास प्राधिकरण एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अनुसार तैयार की गई नियमावली को स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया जाये।

<u>एजेन्डा आईटम संख्या : 60/03</u>

विषयः सहारनपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित बाईपास के दोनो ओर स्थित ग्रामों का भू-उपयोग सहारनपुर महायोजना-2031 में निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्देशित किया गया कि सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित ग्रामों को सहारनपुर महायोजना-2031 में सम्मिलित करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाये।

Scanned by CamScanner

एजेन्डा आईटम संख्या : 60/04

विषयः सहारनपुर विकास क्षेत्र में मिश्रित आवासीय/आवासीय भू–उपयोग में अवैध रूप से विकसित 44 कॉलोनियों के विनियमितिकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 3805/8–3–2008–194काम्प/2001 दिनॉक 05अगस्त, 2008 में उल्लिखित व्यवस्थाओं/प्राविधानों के आलोक में कॉलोनियों के विनियमितिकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। बैठक में हुए विचार–विमर्श के दौरान मा0 नामित सदस्यों द्वारा मा0 बोर्ड के संज्ञान में लाया गया कि कुछ ऐसी कालोनियॉ विद्यमान है, जिनमे 60–70 प्रतिशत निर्माण हो चुके है, को भी विनियमितिकरण की श्रेणी में रखा जाना उचित होगा। इस तथ्य पर विचारोपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि इन कालोनियॉ का भी सर्वे कराकर समेकित प्रस्ताव पर विनियमितीकरण की कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

एजेन्डा आईटम संख्या : 60/05

विषयः प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहें कार्यो/परियोजनाओं में 10 प्रतिशत से अधिक के विचलन की स्थिति में विचलन का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों का संज्ञान लियां गया। मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में आगणित राशि रू0 10,55,042.40 को सर्वनिम्न निविदादाता मैसर्स श्री कन्सट्रक्शन को 17.76प्रतिशत निम्न अर्थात रू0 08,67,651.11 को स्वीकृती प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत स्थल से सम्बन्धित स्थानीय निवासियों द्वारा महापौर महोदय, नगर निगम एवं स्थानीय पार्षद के माध्यम से प्राधिकरण के संज्ञान मे लाते हुए अनुरोध किया गया कि अन्दर की गली मे जल–भराव होगा तथा गली का भी निर्माण कराया जाये। तत्क्रम में प्राधिकरण द्वारा स्थल पर कराये गये कार्य के निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों की मॉग के अनुसार निष्पादित अनुबन्ध के अन्तर्गत ही औचित्य एवं आवश्यकता के दृष्टिग्त कार्य को पूर्ण कराया गया। इस प्रकार स्थल पर अनुबन्ध के अनुसार स्वीकृत कार्य के अतिरिक्त सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य, जो कि स्वीकृत कार्य की प्रकृति के समान ही है, कराया गया है। इस प्रकार स्थल पर स्वीकृति से अधिक कार्य कराये जाने के कारण विचलन की स्थिति उत्पन्न हुई है।

सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकनोपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा इस निर्देश के साथ, स्वीकृति प्रदान की गई कि निर्माण/विकास कार्यो के अन्तर्गत स्थल पर कार्य की वास्तविक आवश्यकता एवं औचित्य को ध्यान मे रखतें हुए आगणन गठित किया जाये।

Scanned by CamScanner

एजेन्डा आईटम संख्या : 60/06

विषयः डा0 रजनीश दहूजा द्वारा सिटी कन्वेन्शन सेन्टर के भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्तुत मानचित्र संख्या एसडीए/बीपी/19–21/0003 के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए शासन के सूचनार्थ प्रेषित किया जायें।

(अतुल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
प्रतिनिधि–अधीक्षण अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
सहारनपुर।

(गोविन्द शुक्ला)
अपर निदेशक(कोषागार)
सहारनपुर।

(के0वी0शुक्ला)
सहयुक्त नियोजक, मेरठ।
प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उ0प्र0, लखनऊ।

(गोर्की)
सहायक नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ। (विशेष आमंत्री)

(जे0एस0सयाना)
परियोजना प्रबंधक
उ0प्र0सेतु निगम,
सहारनपुर।
(विशेष आमंत्री)

(पंकज)
अधीक्षण अभियन्ता
नगरीय विद्युत वितरण खण्ड,
सहारनपुर।
(विशेष आमंत्री)

(सत्यवीर सिंह)
महाप्रबंधक
उ0प्र0 जल निगम,
सहारनपुर।

(राकेश जैन)
गैर सरकारी/ मनोनीत सदस्य

(सुरेन्द्र शर्मा)
गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य

(अमित गगनेजा)
गैर सरकारी/ मनोनीत सदस्य

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
नगर आयुक्त/उपाध्यक्ष
नगर निगम/विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।

(अखिलेश सिंह)
जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

(संजय कुमार)
अध्यक्ष/आयुक्त
विकास प्राधिकरण/सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर।

Scanned by CamScanner